



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक. 7030 / एनआर-4 / NREGS-MP / 2010
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/07/10

अत्यंत महत्वपूर्ण समय-सीमा

- कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
जिला समस्त (विदिशा, ग्वालियर, रतलाम, डिण्डौरी, गुना, सीहोर, शाजापुर को छोड़कर)
- विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, केन्द्र पोषित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एवं बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अभिसरण से बनने वाली बारहमासी ग्रामीण सड़कों ग्रामीण संपर्क सड़क योजना हेतु वित्त एवं लेखा व्यवस्था संबंधी निर्देशों का पालन।
- संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्र. 6263 / NREGS-MP/NR-4 / 2010 दिनांक 22 / 06 / 2010

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित मदों में आपको प्राप्त होने वाली राशि को निर्धारित चर्क आईडी में जमा कराने के निर्देश दिये गये थे तथा इस बाबत प्रमाण-पत्र भेजने के निर्देश दिये गये थे।

अत्यंत खेद का विषय है कि आपके द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी से अवगत नहीं कराया गया। दिनांक 16/07/2010 तक चाहे गये प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं इस कार्यालय को प्रस्तुत करें अन्यथा दोषी कार्यपालन यंत्रियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधी जानकारी से प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से अवगत कराया जायेगा।

2
9/7/10
(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्र. 7031 / वित्त एवं लेखा / एनआर-4 / NREGS-M.P / 2010

भोपाल, दिनांक 12/07/10

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ कृपया आप भी इस संबंध में कार्यवाही तत्काल ही सुनिश्चित करें। कृपया चाहे गये प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपलब्ध करावें। यह कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।
3. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यपालन यंत्रियों को प्रदाय की गई राशि निर्धारित चर्क आईडी में जमा कराने हेतु समय-समय पर सूचना दी गई है। अब इस संबंध में उपरोक्तानुसार तत्काल जानकारी उपलब्ध करावें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस संबंध में शासन स्तर पर समीक्षा होती है।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ।

2
9/7/10
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल